(76)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष: मनोज गोयल,
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1112-एक/2014 विरूद्ध आदेश दि. 16-01-2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मल्हारगढ़ जिला मंदसौर, प्रकरण क्रमांक 98/अपील/2012-13

मेहताबसिंह पिता रायसिंह
निवासी ग्राम आकली
हाल मुकाम जयभवानी ढाबा
महू नीमच रोड़ मल्हारगढ़ जिला मंदसौर

.....आवेदक

विरूद्ध

1-म0प्र0शासन
2-प्रदीप कुमार पिता सुरेशकुमार
निवास मल्हारगढ़
हाल मुकाम 34/1 समाजवाद नगर इंदौर म0प्र0

.....अनावेदकगण

श्री श्री ए.आर.यादव, अभिभाषक-आवेदक

** आ दे श **

(आज दिनांक 4/2/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी मल्हारगढ़ जिला मंदसौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-1-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवारी मौजा मल्हारगढ़ के द्वारा राजस्व निरीक्षक के माध्यम से अनावेदक क्रमांक 2 के द्वारा जनसुनवाई के तहत

प्रस्तुत आवेदन पत्र पर से जॉच कर इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि आवेदक ने शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 1450/3 में 40×28 फीट पर अतिक्रमण किया है । तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 248 के अन्तर्गत प्रकरण क्रमांक 1194/अ-68/12-13 दर्ज कर दिनांक 26-6-2013 को आदेश पारित कर आवेदक पर अर्थदण्ड आरोपित कर शासकीय भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश दिये गये । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 16-1-14 को अंतरिम आदेश पारित कर अनावेदक क्रमांक 2 के पक्षकार बनाये जाने के आवेदन पर अनावेदक क्रमांक2 को पक्षकार बनाये जाने के अंतरिम आदेश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 248 में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की कार्यवाही पक्षकार और शासन के मध्य रहती है जिसमें शिकायतकर्ता न तो उचित व उपयुक्त पक्षकार होता है और ना ही उसे पक्षकार बनाया जाना चाहिये, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर शिकायतकर्ता के आवेदन पर उसे पक्षकार बनाये जाने का आवेदन दिये जाने पर पक्षकार बनाये जाने का आदेश देने में त्रुटि की गई है ।

(2) संहिता की धारा 248 में शिकायतकर्ता को पक्षकार बनाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है तथा अपील में अपीलार्थी जिसे उचित समझे उसको पक्षकार बना सकता है । अपीलार्थी की मर्जी के विरूद्ध किसी पक्षकार केआवेदन पर उसे पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है । इस बिन्दु पर विचार किये बिना अनावेदक क्रमांक 2 को पक्षकार बनाये जाने के आदेश देने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है ।

(3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों के विपरीत आदेश दिया है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर मुख्य रूप से यही तर्क प्रस्तुत किया गया प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 2 हितबद्ध होकर आवश्यक पक्षकार है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 को पक्षकार बनाये जाने के अंतरिम

आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । वैसे भी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में प्रकरण का अंतिम निराकरण होना है जहॉ आवेदक को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर उपलब्ध है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का अंतरिम आदेश स्थिर रखते हुये निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के सन्दर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में अपील में अनुविभागीय अधिकारी ने शिकायतकर्ता अनावेदक क्रमांक 2 को पक्षकार बनाया गया है । अनावेदक क्रमांक 2 की भूमि भी उस भूमि से लगी होने से उसके हित भी इस अतिक्रमण से प्रभावित हो रहे हैं । अत: वह आवश्यक पक्षकार है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पक्षकार बनायें जाने का आवेदन स्वीकार करने की कार्यवाही वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखी जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी मल्हारगढ़ जिला मंदसौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-1-2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,

ग्वालियर